जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

छिंदवाड़ा डेयरी गेट पार्लर संचालन हेतु निविदा प्रपत्र

वर्ष 2025–26

शुद्धता का संकल्प

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित जबलपुर
करौंदा नाला,इमलिया, कटनी रोड़,जबलपुर–482004
टोल फ्री नंबर–9406900500
E-mail: sales.jds@sanchidairy.com
marketing.jds@sanchidairy.com
Website: www.sanchidairy.com

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

पंजीकृत कार्यालय, करौंदा, इमलिया, कटनी रोड, जबलपुर
कस्टमर केयर नंबर–9406900500, E,mail-sales.jds@sanchidairy.com

क्र. ——————————————/जेएसडीएस/विप.–110/2025/जबलपुर दिनांकः —————

"डेरी गेट पार्लर संचालन हेतु निविदा प्रपत्र"

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, द्वारा कि छिंदवाड़ा संयंत्र से ऐसे इच्छुक नागरिकों, संस्थाओं, कैन्टीनों, स्व–सहायता समूह, एनजीओ या आजीविका समूह आदि से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं जो छिंदवाड़ा में साँची डेयरी गेट पार्लर (फैक्ट्री गेट) से साँची ब्राण्ड के दूध एवं दुग्ध उत्पादों के विक्रय के माध्यम से स्वनियोजन प्राप्त करना चाहते हैं।

आवेदक, डेरी गेट पार्लर संचालन हेतु निविदा प्रपत्र से संबंधित जानकारी एवं आवेदन पत्र वेबसाईट www.sanchidairy.com से डाउनलोड कर संपूर्ण दस्तावेजों के साथ दिनांक 29.11.2025 को दोपहर 1:00 बजे से दिनांक 19.12.2025 दोपहर 1:00 बजे तक दुग्ध संघ कार्यालय में रू. 500/– की रसीद सहित बंद लिफाफे में जमा कर सकेंगे। निविदा के लिये निर्धारित ई.एम.डी. राशि रू. 10,000/– (दस हजार मात्र) जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा प्रपत्र में यदि कोई सुधार/संशोधन होता है तो सिर्फ उपरोक्त वेबसाईट पर ही अपलोड किया जावेगा, अन्य कोई और माध्यम से प्रकाशित नहीं होगा। किसी भी आवेदन को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर दुग्ध संघ के पास निहित होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

मूल्य रू. 500/—

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर
डेयरी संयंत्र करौंदा नाला, इमलिया,जबलपुर

छिंदवाड़ा डेरी गेट मिल्क पार्लर संचालन का कार्य आवंटन हेतु निविदा प्रपत्र

1.	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की प्रारंभ तिथि एवं समय—	29.11.2025 दोपहर 1.00 बजे से
2.	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय—	**19.12.2025 दोपहर 12.00 बजे तक**
3.	निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय—	**19.12.2025 दोपहर 01:00 बजे तक** जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर
4.	तकनीकी अर्हता परीक्षण दिनांक, समय एवं स्थान	**19.12.2025 अपरान्ह 03:00 बजे** मीटिंग हॉल, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर
5.	निविदा के साथ जमा की जाने वाली अमानत (ई.एम.डी.) राशि—	रू. 10,000/— (रू.दस हजार मात्र) (डी.डी/बैंकर्स चेक के माध्यम से)
6.	पार्लर संचालन कार्य हेतु आवश्यक''तकनीकी अर्हताऐं'' का प्रारूप	प्रपत्र 01
7.	पार्लर संचालन की सामान्य शर्तें	प्रपत्र 02
8.	पार्लर आवंटन हेतु निविदा प्रपत्र	प्रपत्र 03
9.	भाव पत्र/दरे प्रस्तुत करने का प्रारूप	प्रपत्र 04

तकनीकी अर्हता संबंधी दस्तावेज़ प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :—

- धरोहर राशि (**EMD**) की डी.डी भौतिक रूप से एक अलग लिफाफे में रखें, जिस पर लिफाफा ''**A**'' लिखा जाए।
- प्रपत्र क्रमांक 1 ''तकनीकी अर्हताऐं', प्रपत्र क्रमांक 2 ''निविदा की शर्तें'' तथा प्रपत्र क्रमांक 3 ''पार्लर हेतु निविदा प्रपत्र'' एक ही बंद लिफाफे में प्रस्तुत की जावे एवं लिफाफे पर लिफाफा ''**B**''— लिखा जावे।
- प्रपत्र कमांक 4 ''भाव पत्र/दर '' बंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जावे एवं लिफाफे पर लिफाफा ''**C**''— लिखा जावे।
- उक्त दोनों ''**A**'', ''**B**''एवं ''**C**'' बंद लिफाफे एक साथ एक अन्य लिफाफे में बंद कर कार्यालय में दिनांक 19.12.2025 को दोपहर 01:00 बजे तक जमा की जावें। लिफाफा ''**A**'', ''**B**''एवं ''**C**'' में चाही गई जानकारी के प्रमाण स्वरूप समस्त दस्तावेजों की स्व प्रमाणित छायाप्रति पहले ''तकनीकी अर्हताऐं'' तथा निविदा शर्तों का लिफाफा खोला जावेगा। तकनीकी अर्हताएं में सफल निविदाकर्ताओं की ही वित्तीय दरें खोली जाएंगी। निविदाकार लिफाफे के ऊपर अपना नाम एवं पता स्पष्ट रूप से अंकित करें।
- निविदा प्रपत्र क्रमांक 2 में उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
जबलपुर।

महोदय,

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, के जबलपुर डेयरी गेट पार्लर के संचालन कार्य हेतु दिनांक .... को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्ते एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए है । यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा अमानत राशि रू. 10,000/– (रूपये दस हजार मात्र) की डी.डी. क्रमांक ....दिनांक .... संलग्न कर रहा हूँ।

आवश्यक अर्हताऐं

क्र.	आवश्यक अर्हता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज
1.	निविदाकर्ता (व्यक्ति/उद्यमी/सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी/पंजीकृत सहकारी संस्था अथवा अन्य) है।		प्रोप्राइटर पंजीयन प्रमाण पत्र/पार्टनरशिप डीड/पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
2.	निविदाकर्ता (व्यक्ति/उद्यमी/सोल प्रोप्राइट रशि फर्म/ पार्टनरशिप फर्म /कम्पनी का पेन कार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
3.	निविदाकर्ता (व्यक्ति/उद्यमी/सोल प्रोप्राइटर राशि फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी) का जी.एस.टी नम्बर होना आवश्यक है। ऐसे निविदाकर्ता जो कि नवीन कार्य आरम्भ कर रहें हैं को पार्लर आवंटन की स्थिति में एक माह के भीतर जी.एस.टी नम्बर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।		जी.एस.टी. नम्बर की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। ऐसे निविदाकर्ता जो कि नवीन कार्य आरम्भ कर रहें हैं को पार्लर आवंटन की स्थिति में एक माह के भीतर जी.एस.टी नम्बर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
4.	निविदाकर्ता (व्यक्ति/उद्यमी/सोल प्रोप्राइटर राशि फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी के बैंक का नाम व (Current) चालू खाता क्रमांक। ऐसे निविदाकर्ता जो कि नवीन कार्य आरम्भ कर रहें हैं को पार्लर आवंटन की स्थिति में बैंक में (Current) चालू खाता खोलकर जानकारी उपलब्ध कराना होगा।		बैंक खाते का एक स्वप्रमाणित निरस्त मूल चेक सलंग्न करें। ऐसे निविदाकर्ता जो कि नवीन कार्य आरम्भ कर रहें हैं को पार्लर आवंटन की स्थिति में बैंक में (Current) चालू खाता खोलकर स्वप्रमाणित निरस्त मूल चेक उपलब्ध कराना होगा।
5.	निविदाकर्ता (व्यक्ति/उद्यमी/सोल प्रोप्राइट राशि फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी) का वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 का आयकर जमा (ITR) विवरण संलग्न करना आवष्यक है। ऐसे निविदाकर्ता जो कि नवीन कार्य आरम्भ कर रहें हैं को पार्लर आवंटन की स्थिति में पूर्व वर्षो का आयकर जमा विवरण संलग्न करना आवश्यक नहीं होगा।		आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 की आयकर विवरणी (चार्टड एकाउटेंट) द्वारा प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। ऐसे निविदाकर्ता जो कि नवीन कार्य आरम्भ कर रहें हैं को पार्लर आवंटन की स्थिति में पूर्व वर्षो का आयकर जमा विवरण संलग्न करना आवश्यक नहीं होगा।
6.	खुदरा विक्रय हेतु निर्धारित वैध FSSAI लायसेन्स होना आवश्यक है। ऐसे निविदाकर्ता जो कि नवीन कार्य आरम्भ कर रहें हैं को पार्लर आवंटन की स्थिति में एक माह में **FSSAI** लाईसेंस प्राप्त कर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।		वैध FSSAI लायसेन्स की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। ऐसे निविदाकर्ता जो कि नवीन कार्य आरम्भ कर रहें हैं को पार्लर आवंटन की स्थिति में एक माह में **FSSAI** लाईसेंस प्राप्त कर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

7.	जमा की गई ई.एम.डी. राशि रू. 10,000/– (दस हजार रूपये) की रसीद लगाना अनिवार्य है।		जमा की गई राशि रू. 10,000/– (दस हजार रूपये) की रसीद संलग्न करें।
8	निविदाकर्ता (व्यक्ति/उद्यमी/सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रक्त संबंधी एवं आश्रित परिवार का सदस्य नहीं है/किसी भी दुग्ध संघ द्वारा किसी भी कार्य हेतु टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं है/ किसी भी थाने में आर्थिक अथवा अन्य अपराध संबंधी प्रकरण दर्ज नहीं है।		निविदा पत्र के परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न निर्धारित प्रारूप में रू.100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर मूल शपथ पत्र नोटराईज्ड कराकर संलग्न करें।
9	निविदाकर्ता यदि वर्तमान में वितरक/ परिवहनकर्ता/वितरक सह–परिवहनकर्ता के रूप में कार्यरत है व आवेदन प्रस्तुत कर रहें है तो दुग्ध संघ का NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।		मूल अनापत्ति प्रमाण पत्र परिशिष्ट 'द' पर निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।

नोट :– (1) उक्त समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियॉ संलग्न करना अनिवार्य है।

(2) उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी ।

हस्ताक्षर ––––––––––––––––––––––––

नाम :– ––––––––––––––––––––––––

पता :– ––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––

टेलीफोन नं.––––––––––––––––––––––––

मोबाईल नं ––––––––––––––––––––––––

डेयरी गेट मिल्क पार्लर आवंटन हेतु सामान्य शर्तें

1. निविदा के साथ निविदाकर्ता व्यक्ति/उद्यमी/कम्पनी/फर्म के डायरेक्टर का स्वप्रमाणित फोटो लगाना अनिवार्य होगा।
2. निविदाकर्ता को आवश्यक तकनीकी अर्हताऐं पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
3. ऐसे निविदाकर्ता जिन्हें एफएमसीजी उत्पाद/दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय करने का अनुभव हो अथवा ऐसे निविदाकर्ता जो कि नया कार्य आरम्भ करना चाहते हों निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं।
4. आवंटन की दशा में सफल निविदाकार को दुग्ध संघ के साथ निर्धारित शर्तों का रू.1000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य है।
5. अधिकतम किराया राशि ऑफर करने वाले निविदाकर्ता का चयन फैक्ट्री गेट पार्लर संचालन हेतु किया जाएगा।
6. अधिकतम किराया राशि ऑफर करने वाले एक से अधिक निविदाकर्ता द्वारा समान दर प्रस्तुत की जाती है तो **ऐसी स्थिति में निविदाकर्ता का चयन लॉटरी प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा।**
7. वर्तमान में दुग्ध संघ से संबद्ध वितरक/वितरक सह–परिवहनकर्ता/परिवहनकर्ता व अन्य रूप में अनुबंधित किसी भी सोल प्रोप्राईटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी को इस निविदा में भाग लेने हेतु जबलपुर दुग्ध संघ से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
8. निविदा स्वीकृति के उपरांत पार्लर संचालन की कार्य अवधि 02 वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा पार्लर एजेन्ट का कार्य 02 वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तो एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि 20 प्रतिशत किराया वृद्धि के साथ एक वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी। परन्तु अनुबंध की अवधि में बढ़ोत्तरी किसी भी पक्ष के लिये अधिकार नहीं होगा। दुग्ध संघ द्वारा पार्लर एजेन्ट का कार्य उक्त अवधि में किसी भी समय संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर एक माह का नोटिस देकर कार्य आवंटन निरस्त करते हुए पुनःनिविदा आमंत्रित करने हेतु दुग्ध संघ स्वतंत्र रहेगा।
9. सभी औपचारिकताऐं निर्धारित अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा, निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण न होने पर कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा एवं (ई.एम.डी.) भी राजसात की जा सकेगी।
10. निविदाकार को निविदा के साथ राशि रू. 10,000/– (रू. दस हजार) ई.एम.डी. के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा एवं उसकी रसीद भौतिक रूप से निविदा प्रपत्र में संलग्न करना अनिवार्य होगा। ई.एम.डी जमा न करने की स्थिति में निविदाकार की निविदा पर विचार नही किया जाएगा तथा ऐसी निविदा स्वतः निरस्त मानी जाऐगी।
11. निविदाकर्ता का चयन होने पर रू. 2,00,000/– (दो लाख रूपये मात्र) प्रतिभूति राशि के रूप में संघ कार्यालय में एक मुश्त जमा करनी होगी। जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
12. **डेयरी गेट मिल्क पार्लर का आवंटन होने के पश्चात् अनुबंधित अवधि में यदि एजेन्ट उसे स्वेच्छा से छोड़ना चाहता है, या दुग्ध संघ द्वारा एजेन्टशिप निरस्त की जाती है तो प्रतिभूति मद में जमा रू. 2,00,000/– (दो लाख रूपये मात्र) का रिफन्ड लेने के पूर्व पार्लर एजेन्ट को संघ से बकाया लेनदेन क्रेट, विद्युत देयक आदि के भुगतान/समायोजन पश्चात् नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर लेनदारी/देनदारी पूर्ण होने के बाद ही रिफण्ड किया जाएगा।**
13. निविदा में निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किराया राशि, निविदा स्वीकृत होने पर दो वर्षो हेतु निर्धारित किया गया है। कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से किराया राशि 20% की वृद्धि के साथ एक वर्ष हेतु जमा करना अनिवार्य होगी।
14. विद्युत/पानी/डीप फ्रीज एवं अन्य व्यय का भुगतान एजेन्ट द्वारा किया जावेगा।
15. अपूर्ण निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
16. पार्लर एजेंट पक्ष को आवंटित साँची पार्लर को नीचे दर्शायी गई समयावधि में खुला रखना होगा :–

    प्रातः 6:00 से रात्रि 10:00 बजे तक
17. पार्लर एजेंट को दूध एवं दुग्ध उत्पाद अग्रिम भुगतान पर ही प्रदाय किये जावेंगे।
18. पार्लर एजेंट द्वारा दुग्ध संघ के अधिकारी/कर्मचारी को रिटेलर दर पर दूध एवं दुग्ध पदार्थ प्रदाय किये जावेंगे।
19. डेयरी गेट पार्लर संचालक को पार्लर पर दुग्ध संघ सभी दूध एवं दुग्ध पदार्थो की उपलब्धता बनाये रखना अनिवार्य होगा।

20. निविदाकर्त्ता या पार्लर आवंटी को पार्लर का संचालन स्वयं या अपने प्रतिनिधि के द्वारा किया जावेगा अन्य के द्वारा पार्लर का संचालन नहीं किया जा सकेगा।
21. संघ के दुग्ध पदार्थो की शेल्फ–लाइफ सीमित होती है, अतः फैक्ट्री गेट पार्लर संचालक को दुग्ध पदार्थो की अग्रिम मांग शेल्फ–लाइफ को देखते हुए ई.आर.पी सिस्टम के माध्यम से देनी होगी एवं निर्धारित समयावधि में बिना विपरीत रूप से गुणवत्ता प्रभावित हुए उपभोक्ताओं को विक्रय करना होंगे।
22. पार्लर का रख–रखाव एवं कम से कम 03 डीपफ्रीजर उत्पादों के शीतलीकृत रखने/भण्डारण हेतु व्यवस्था पार्लर संचालक को स्वयं के व्यय से करनी होगी।
23. **निविदाकार को विधिसम्मत उत्तराधिकारी घोषित करना होगा। अनुबंधित पार्लर एजेंट की मृत्यु होने की दशा में अधिकृत उत्तराधिकारी द्वारा अनुबंध की शेष अवधि में पार्लर संचालित किया जा सकेगा तथा उत्तराधिकारी पार्लर संबंधी समस्त लेनदारी–देनदारी का निराकरण करेगा।**
24. डेयरी गेट मिल्क पार्लर से केवल साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थों का ही विक्रय किया जा सकेगा। एजेन्ट द्वारा नियुक्त किए गए सेल्समेन द्वारा की गई कोई भी अनियमितता एजेन्ट द्वारा की गई अनियमितता मानी जाएगी।
25. निविदाकर्ता को निविदा के साथ इस आशय का निर्धारित **परिशिष्ट ''अ''** पर संलग्न प्रारूप अनुसार रू.100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र नॉटराइज्ड कराकर संलग्न करना होगा।
26. डेयरी गेट पार्लर एजेन्ट को दुग्ध संघ द्वारा साँची दूध, दुग्ध उत्पाद एवं घी वितरक दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे एवं एजेट उसे केवल निर्धारित (**MRP**) मूल्यों पर ही विक्रय करेगा। यदि संघ द्वारा एजेन्ट को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर साँची दूध, दुग्ध पदार्थ,विक्रय करते हुए पाया जाता है तो उस पर दुग्ध संघ द्वारा राशि रू. 5000/– का जुर्माना लगाया जायेगा, उसका वहन एजेन्ट को करना होगा। उक्त कार्य की पुनरावृत्ति पाये जाने पर आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
27. दुग्ध संघ द्वारा डेयरी गेट पार्लर एजेन्ट को पार्लर आवंटन की स्थिति में दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय के लक्ष्य वार्षिक आधार पर मासिक रूप से दिये जाएंगे। जिन्हें प्राप्त करना डेयरी गेट पार्लर एजेन्ट को अनिवार्य होगा। समय–समय पर उतरोत्तर वृध्दि हेतु दिये गये लक्ष्यों कि प्राप्ती आवश्यक होगी लक्ष्यों को प्राप्त नही करने पर आवंटन निरस्त कर अन्य को आवंटन की कार्यवाही दुग्ध संघ द्वारा की जा सकेगी।
28. यदि कोई ऐसी निविदा प्राप्त होगी जिसका एमपीसीडीएफ/दुग्ध संघों में कोई रिकार्ड खराब हो अथवा पूर्व में एमपीसीडीएफ/दुग्ध संघ की नीतियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई हो तो ऐसी निविदा को संघ स्तर पर निरस्त कर दिया जायेगा एवं निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
29. निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकार द्वारा दी गयी जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो अर्नेस्ट मनी राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा साथ ही ऐसी निविदा को निरस्त समझा जाऐगा।
30. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंधक संचालक, एमपीसीडीएफ,भोपाल को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
31. निविदा में वांछित जानकारी पूर्ण रूप से भरना है एवं निविदा के साथ वांछित समस्त दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर ऐसी निविदा निरस्त कर दी जायेगी एवं निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
32. वर्तमान में जिन पार्टियों के एमपीसीडीएफ अथवा किसी भी दुग्ध संघ के विरूद्ध आर्थिक अनियमितता संबंधी किसी भी प्रकार का प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन हो एवं आर.आर.सी की कार्यवाही प्रचलन में हो ऐसे आवेदक निविदा करने के पात्र नहीं होंगे एवं न ही ऐसे निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत निविदा पर विचार किया जावेगा।
33. वर्तमान में एमपीसीडीएफ अथवा किसी भी दुग्ध संघ से अनुबंधित पात्र ठेकेदार को इस ई–निविदा में भाग लेने हेतु संबंधित दुग्ध संघ से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
34. इस अनुबंध का न्यायायिक कार्यक्षेत्र जबलपुर रहेगा।
35. संघ द्वारा निर्धारित डेयरी गेट पार्लर आवंटन के सामान्य नियम व शर्ते भी अनुबंध का भाग मानी जावेगी।
36. **इस निविदा से संबंधित यदि कोई सुधार/संशोधन होता है तो वेबसाईट www.sanchidairy.com वेबसाईट पर ही प्रकाशित किया जावेगा अन्य किसी और भी माध्यम पर प्रकाशित नहीं होगा।**

37. पार्लर एजेंट को अपनी जिम्मेदारी पर ग्राहकों की पार्किंग की उचित व्यवस्था करनी होगी। किसी भी परिस्थिति में ग्राहकों के वाहनों से यातायात बाधित न हो अन्यथा इसके लिए पार्लर एजेंट जिम्मेदार होगा।
38. **डेयरी गेट पार्लर संचालन हेतु दुग्ध संघ द्वारा न्यूनतम वार्षिक किराया राशि रू. 75,000/- (रू. पिच्चहत्तर हजार मात्र) निर्धारित की गई है। अतः निविदाकर्ताओं द्वारा निर्धारित न्यूनतम वार्षिक किराया राशि को ध्यान में रखते हुए किराया राशि प्रस्तुत की जाए। निर्धारित न्यूनतम वार्षिक किराया राशि से कम वार्षिक किराया राशि प्रस्तुत करने वाले निविदाकार की दरें अमान्य होंगी। अधिकतम किराया राशि ऑफर करने वाले निविदाकर्ता का चयन डेयरी गेट पार्लर संचालन हेतु किया जाएगा।**
39. टंकण त्रुटि या किसी भी कारण से शर्तों में अस्पष्टता होने से उक्त शर्तों को स्पष्ट करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

मेरे द्वारा उपरोक्त समस्त आवंटन की सामान्य नियम एवं शर्ते पढ़ ओर समझ ली गई है। मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त जानकारी एवं दस्तावेज सत्य है, यदि भविष्य में मेरे प्रस्तुत कोई भी जानकारी या दस्तावेज असत्य पाये जाते है तो दुग्ध संघ द्वारा मेरा आवंटन निरस्त कर दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति राशि राजसात कार्यवाही की जाती है तो मुझे मान्य होगी। मुझे उपरोक्त समस्त नियम व शर्ते मान्य है। मेरे द्वारा दुग्ध संघ के समस्त निर्देशों का परिपालन किया जावेगा, उल्लंघन करते पाये जाने पर दुग्ध संघ को मेरा आवंटन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

प्रपत्र क्रमांक–3

डेयरी गेट मिल्क पार्लर हेतु निविदा प्रपत्र

स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो

1. निविदाकर्ता का नाम :– ——————————————————————
2. पिता / पति का नाम :– ——————————————————————
3. शैक्षणिक योग्यता :– ——————————————————————
4. स्थाई पता :– ———————————————————————
   (आधार कार्ड की छायाप्रति / दूरभाष / मोबाइल नं. के साथ)
5. पत्र व्यवहार का पता :– ————————————————————————
   (दूरभाष / मोबाइल नं. के साथ)
6. वर्तमान व्यवसाय / कार्य :– ———————————————————————
   व्यवसाय पिता का या स्वयं का ——————————————————————
   व्यवसाय स्थान का पता (दूरभाष नं. सहित)————————————————————
7. वित्तीय स्थिति :–
   – वर्तमान व्यवसाय की लागत (यदि हो तो) ————————————————————
   – वर्तमान व्यवसाय की आय (यदि हो तो)——————————————————————
   – मिल्क पार्लर संचालन हेतु लगाई जाने वाली पूँजी की व्यवस्था हाँ / नहीं
8. आर्थिक / अन्य अपराध संबंधी न्यायालयीन प्रकरण लंबित तो नहीं है। हाँ / नहीं

डेयरी गेट मिल्क पार्लर आवंटन से संबंधित समस्त शर्तें एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ एवं समझ चुका हूँ / चुकी हूँ और मान्य करता हूँ / करती हूँ।

निविदाकर्ता का नाम

नाम ————————————

हस्ताक्षर————————————

शपथ पत्र का प्रारूप
(रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम – ....

पिता – ....

आयु – ....

निवासी – ....

01– जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर द्वारा डेयरी गेट पार्लर संचालक के चयन हेतु निविदा पत्र आमंत्रित किये गये है। मेरे द्वारा डेयरी गेट पार्लर संचालन के लिए निविदा प्रस्तुत की गई है। तत्संबंध में मैं शपथपूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मैं एमपीसीडीएफ/किसी भी दुग्ध संघ माननीय अध्यक्ष महोदय/प्राधिकृत अधिकारी/संचालक/अधिकारी/कर्मचारी से मेरा रक्त संबंध नहीं है एवं मैं आश्रित परिवार का सदस्य नहीं हूँ।

2– मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूॅं कि जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर द्वारा आमंत्रित डेयरी गेट पार्लर संचालन निविदा प्रक्रिया में मेरे द्वारा निविदा प्रस्तुत की गई है। यदि उक्त निविदा स्वीकृत होती है तो मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मुझे एमपीसीडीएफ, भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया हैं।

3– मुझ शपथग्रहिता द्वारा जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर द्वारा आमंत्रित डेयरी गेट पार्लर संचालन निविदा प्रक्रिया में भाग लिया गया है। मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूं कि मेरे विरूद्ध किसी भी थाने में किसी भी प्रकार का कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है।

इति दिनांक ....जबलपुर हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01, 02 एवं 03 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक .... जबलपुर हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....

परिशिष्ट 'ब'

अनापत्ति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/मेसर्स.. वर्तमान में जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर के साथ .... के रूप में कार्यरत है तथा आज दिनांक .... तक की स्थिति में श्री/श्रीमती/मेसर्स ....की तरफ जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर की कोई भी लेनदारी शेष नही है।

जारी दिनांक.................................

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

वित्तीय बिड

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ द्वारा जारी निविदा में डेयरी गेट पार्लर संचालित करने के लिए मैं निम्नानुसार दर प्रस्तुत करता/करती हूँ।

1	2
प्रस्तुत दर का प्रकार	छिंदवाड़ा संयंत्र के डेयरी गेट पार्लर के संचालन हेतु संघ को देय वार्षिक किराया राशि रू. (कर अतिरिक्त)
अंकों में	रू. ....
शब्दों में	रू. ....

नोट :–

- डेयरी गेट पार्लर संचालन हेतु दुग्ध संघ द्वारा न्यूनतम वार्षिक किराया राशि रू. 75,000/– (पिच्हत्तर हजार रूपये मात्र + कर अतिरिक्त) निर्धारित की गई है। अतः निविदाकर्ताओं द्वारा निर्धारित न्यूनतम वार्षिक किराया राशि को ध्यान में रखते हुए किराया राशि प्रस्तुत की जाए। निर्धारित न्यूनतम वार्षिक किराया राशि से कम वार्षिक किराया राशि प्रस्तुत करने वाले निविदाकार की दरें अमान्य होंगी। अधिकतम किराया राशि ऑफर करने वाले निविदाकर्ता का चयन डेयरी गेट पार्लर संचालन हेतु किया जाएगा।
- निविदाकार द्वारा प्रस्तुत की गई दरों पर कर अतिरिक्त प्रभावशील होगा। अतः निविदाकार तदानुसार दर प्रस्तुत करें।
- निविदाकार द्वारा अंको एवं शब्दों दोनों में अनिवार्यतः दर प्रस्तुत की जाये। यदि अंको एवं शब्दों में प्रस्तुत दरों में किसी भी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है तो शब्दों में प्रस्तुत की गई दर मान्य किया जायेगा।

निविदाकर्ता का नाम

नाम ————————

हस्ताक्षर————————

प्रारूप

डेयरी गेट मिल्क पार्लर हेतु अनुबंध–प्रपत्र

यह अनुबंध **मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर** (जिन्हें आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया गया हैं) एवं **श्री/श्रीमती/मेसर्स**................................ **आत्मज/पति/प्रोप्राईटर** ...., **आयु**–.................. **निवासी**–.. **(म0प्र0)** (जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया गया हैं) के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन आज दिनांक ....को निष्पादित किया जा रहा है :–

1. यह कि प्रथम पक्ष साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ, विक्रय संबंधी व्यवस्था हेतु द्वितीय पक्ष को निविदा पर **डेयरी गेट पार्लर** से साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय हेतु अधिकृत करता हैं।
2. यह आवंटन पूर्णतः अस्थाई है। उभय पक्षों द्वारा 30 दिन का अग्रिम नोटिस देकर, यह अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। नोटिस इस अनुबंध में वर्णित पते पर पंजीकृत/पावती डाक द्वारा भेजा जावेगा (यदि पूर्व में नया पता सूचित नही किया गया हैं तो इस पर भेजा गया पत्र/नोटिस प्राप्त कर लिया माना जावेगा)। द्वितीय पक्ष एजेंटशिप त्यागने/छोड़ने हेतु प्रथम पक्ष को लिखित में कम से कम 30 दिवस पूर्व सूचित करेगा, किन्तु प्रथम पक्ष द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने तक कार्य सम्पादन हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य होगा।
3. **पार्लर संचालन की कार्य अवधि 02 वर्षो के लिए प्रभावशील रहेगी।** प्रथम पक्ष द्वारा पार्लर एजेन्ट का कार्य दो वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तो एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक वर्ष हेतु द्वितीय पक्ष की आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।
4. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो सुनवाई का अवसर देकर स्पष्टीकरण के संतोषजनक न होने पर अनुबंध समाप्त किया जाएगा।
5. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा पार्लर आवंटन निरस्त करने पर द्वितीय पक्ष को 10 दिवस में पार्लर का कब्जा प्रथम पक्ष को देना होगा। ऐसा न करने पर प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि पार्लर पर कब्जा कर ले जिसमें द्वितीय पक्ष को आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। प्रथम पक्ष किसी भी अन्य व्यक्ति/संस्था को यह पार्लर आवंटित करने हेतु स्वतंत्र होगा।
6. **प्रथम पक्ष के दुग्ध पदार्थो की शेल्फ–लाइफ सीमित अवधि की होती है, अतः द्वितीय पक्ष का यह दायित्व होगा कि वह दुग्ध पदार्थो की अग्रिम मांग शेल्फ–लाइफ को देखते हुए ई.आर.पी. सिस्टम के माध्यम देवें एवं निर्धारित समयावधि में बिना विपरीत रूप से गुणवत्ता प्रभावित हुए उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराएंगे।**
7. यह कि अनुबंध के विषयों पर उभय पक्षों के मध्य उत्पन्न विवादों के संबंध में समस्त क्षेत्राधिकार सक्षम न्यायालय को होगा।
8. समस्त विवादों के निपटारे के लिए न्यायिक कार्यक्षेत्र जबलपुर ही होगा।
9. यह कि द्वितीय पक्ष इस नियुक्ति/आवंटन के वक्त पार्लर हेतु रूपये रू. 2,00,000/– (दो लाख रूपये मात्र) बतौर प्रतिभूति/सुरक्षा निधि प्रथम पक्ष के पास जमा कराएगा। जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा।
10. यह कि भविष्य में पार्लर से विक्रय मात्राओं में बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत प्रतिभूति/सुरक्षा निधि में वृद्धि करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा जिसे जमा करने हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य रहेगा।
11. यह कि प्रतिभूति/सुरक्षा निधि से पार्लर संबंधी किसी भी बकाया या नुकसान की राशि की भरपाई करने का अधिकार प्रथम पक्ष को रहेगा।
12. यह कि भविष्य में प्रतिभूति/सुरक्षा निधि वापसी का आवेदन प्रथम पक्ष को नो ड्यूज सहित प्रस्तुत करने पर ही द्वितीय पक्ष को यह राशि वापस की जाएगी।
13. द्वितीय पक्ष को आवंटित पार्लर को दुग्ध संघ द्वारा प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक खुला रखकर संचालन करना अनिवार्य होगा।
14. यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा समय–समय पर निर्धारित, दुग्ध पदार्थो की विक्रय मूल्य तालिका पार्लर पर लगाना अनिवार्य होगा।
15. सॉची पार्लर एजेन्ट अपने यहॉ किसी भी अन्य कंपनी का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे और न ही प्रदर्शनीय स्थल पर पम्पलेट/साइनबोर्ड प्रदर्शित करेंगे, सॉची दूध व दूध पदार्थो का प्रदर्शन सामने करना अनिवार्य होगा। पार्लर पर जबलपुर दुग्ध संघ के निर्देशानुसार निर्धारित ब्राण्डिंग ही की जाएगी। **उल्लंघन किये जाने पर कार्य आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।**
16. यह कि मिल्क पार्लर पर प्रथम पक्ष दुग्ध संघ का स्वामित्व है, द्वितीय पक्ष को यह पार्लर हस्तांतरण/विक्रय/किराये पर देने का कोई अधिकार नहीं होगा। यदि द्वितीय पक्षकार ने सॉची पार्लर को दूसरे को हस्तांतरण/विक्रय/किराये पर दिया तो संबंधित पर अन्य कार्यवाही के साथ–साथ पुलिस एफ.आई. आर/वैधानिक व न्यायिक कार्यवाही की जाएगी।

17. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा केन्द्र/राज्य शासन से संबंधित समस्त कानून अथवा उपनियम का पालन करना आवश्यक होगा। नाप–तौल विभाग, नगर निगम, खाद्य विभाग या अन्य प्रशासनिक विभाग द्वारा बनाये गये किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर द्वितीय पक्षकार की जिम्मेदारी रहेगी।
18. यह कि पार्लर में फ्रिज/डीप फ्रीजर आदि की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी तथा उसका तापमान 4 डिग्री रखकर साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ का शीतलीकरण व गुणवत्ता बनाए रखना अनिवार्य होगा।
19. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा निर्मित दूध एवं दुग्ध पदार्थ के अतिरिक्त ऐसा कोई पदार्थ द्वितीय पक्ष द्वारा पार्लर से विक्रय नही किया जा सकेगा जो प्रथम पक्ष द्वारा उत्पादित पदार्थो के समानान्तर हो या उसके द्वारा प्रतिबंधित हो। अर्थात तम्बाखू, मादक पदार्थ एवं अन्य कंपनी के दूध या दूध पदार्थ विक्रय हेतु प्रतिबंधित होंगे तथा विक्रय करने पर रूपये 50,000/– अर्थदण्ड लगाया जाएगा व पार्लर आवंटन निरस्त किया जाएगा।
20. यह कि पार्लर पर होने वाले व्यय जैसे भूमि, किराया, विद्युत, पानी एवं अन्य व्यय एवं रखरखाव व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जावेगा एवं निर्धारित समय में संबंधित विभाग अथवा प्रथम पक्ष के निर्देशानुसार प्रथम पक्ष कार्यालय में जमा किया जावेगा।
21. यह कि द्वितीय पक्ष विक्रय स्थल का अनुचित प्रयोग नहीं करेंगे न ही किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर देंगे न ही किसी को विक्रय करेंगे। इस पार्लर/बूथ का स्वामित्व सदैव दुग्ध संघ के पास रहेगा। विक्रय स्थल को स्वच्छ एवं दुर्गन्ध रहित रखेंगे तथा वर्ष में कम से कम दो बार पार्लर की पेंटिंग एवं पुताई कराना अनिवार्य होगा।
22. प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को प्रदाय किये गये दुग्ध/दुग्ध पदार्थ की पूर्ण राशि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के निर्धारित बैंक में जमा कराया जाना होगा। यदि किसी दिन बैंक का अवकाश हो तो, अग्रिम राशि जमा कराई जाएगी या दुग्ध संघ धनादेश के माध्यम से राशि प्राप्त करेगा।
23. **प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को प्रदाय किये गये दूध एवं दुग्ध उत्पाद की समस्त धनराशि आर.टी.जी.एस/एन.ई.एफ.टी के माध्यम से अग्रिम जमा करेगा, साथ ही संघ में रेखांकिंत एवं हस्ताक्षरित (दुग्ध संघ के हित में) चेक बुक देगा। आवश्यकता पड़ने पर धनादेश लगाकर भुगतान प्राप्त किया जाऐगा। धनादेश अनादरित होने की स्थिति में निम्नानुसार भुगतान प्राप्त किया जाएगा।**

A- धनादेश के अनादरित होने पर रू.1.00 लाख तक अनादरित धनादेश की कुल राशि पर धनादेश के अनादरित होने के दिनांक से प्रथम 7 दिवस के लिए प्रत्येक दिन के अर्थदंड की राशि रू. 1000/– के मान से वसूली जावेगी। रू. 1.00 लाख से अधिक के धनादेश अनादरित होने पर अर्थदंड रू. 2000/– प्रतिदिन के मान से वसूली योग्य होगा।

B- यदि धनादेश के जारी होने के दिनांक से प्रथम 7 दिवस के भीतर वितरक द्वारा लागू अर्थदंड के साथ दुग्ध संघ के खाते में राशि जमा नहीं की जाती है तो 8वें दिवस से 14 वें दिन के लिए अर्थदंड की राशि रू. 1.00 लाख तक के धनादेश हेतु रू. 2000/– प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रू.1.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रू. 4000/– प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।

C- यदि इसके पश्चात् भी द्वितीय पक्ष द्वारा मूल राशि के साथ–साथ लागू उक्त अर्थदंड की राशि दुग्ध संघ के खाते में जमा नहीं की जाती है तो 15 वें दिवस से राशि जमा करने के दिनांक तक रू.1.00 लाख तक के धनादेश हेतु अर्थदंड की राशि रू. 3000/– प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रू. 1.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रू. 6000/– प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।

24. **द्वितीय पक्ष के अनादरित धनादेश की मूल राशि के साथ–साथ लागू अर्थदंड की राशि को नगद में जमा करना सुनिश्चित् किया जाएगा ताकि अर्थदंड की सही मान से गणना सुनिश्चित् की जा सके तथा दुग्ध संघ को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।**
25. क्योंकि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के लिए स्वीकृत एजेंट बतौर कार्य/व्यवसाय संबंधित उपभोक्ताओं से कर रहा है। अतः उपभोक्ताओं से लेन–देन की समस्त जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी व किसी भी तरह उपजे विवाद के निराकरण वास्ते प्रथम पक्ष द्वारा दिशा निर्देशों के पालनार्थ द्वितीय पक्ष बाध्य होगा।
26. यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित दरों पर ही साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद (एम.आर.पी.) (अधिकतम खुदरा मूल्य) पर विक्रय करना होगा। इससे अधिक दर पर विक्रय किये जाने पर द्वितीय पक्ष के विरूद्ध शासन के अधिनियम के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
27. साँची पार्लर अपने यहाँ साँची दूध एवं दूध उत्पाद के अलावा किसी अन्य कंपनी का दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद न ही रखेंगे और न ही विक्रय करेंगे। पार्लर के अंदर भी साँची दूध व दुग्ध उत्पादों का प्रदर्शन अनिवार्य होगा। प्रथम पक्षकार दुग्ध संघ यदि किसी सहकारिता या अन्य कंपनी के उत्पाद रखने हेतु निर्देशित करेगा तो संबंधित पार्लर/बूथ संचालक को वह रखने एवं विक्रय करना अनिवार्य होगा।
28. प्रथम पक्ष द्वारा प्रदत्त एडवांस पुस्तिकाओं के तहत उपभोक्ताओं के बनाये गये एडवांस कार्ड के तहत प्राप्त राशि का लेखा जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा। प्रस्तुत पुस्तिकाओं के माध्यम से प्राप्त की गई अग्रिम राशि को पूर्ण रूपया जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ जबलपुर के खाते मे जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रथम पक्ष द्वारा प्रदत्त एडवांस कार्ड पुस्तिकाओं में की गई किसी भी तरह की हेरा फेरी या इसके माध्यम से उपभोक्ताओं से प्राप्त राशि

में की गई हेरा फेरी गंभीर धोखाधड़ी की श्रेणी में यह कृत्य आवेगा तथा द्वितीय पक्ष पर पुलिस कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही के द्वारा प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह उपभोक्ताओं को उसकी राशि द्वितीय पक्ष से वापस करवा सके।

29. द्वितीय पक्ष द्वारा दुग्ध विक्रय एवं अग्रिम कार्ड की राशि दुग्ध संघ के किसी भी कर्मचारी को नगदी में न दी जावे। यदि किसी विशेष परिस्थिति में नगदी राशि दी जाती है तो उसकी पावती आवश्यक रूप से ली जावें।
30. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद की प्रदायगी के समय ही द्वितीय पक्ष पैकेट/बॉटल की सील आदि की जांच कर संतुष्टि की दशा में ही दूध एवं दुग्ध उत्पाद प्राप्त करेंगे एवं सतर्कता से वितरण करेंगे। प्राप्ति के उपरांत दूध एवं दुग्ध उत्पाद की शुद्धता एवं तौल की पूर्ण जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी।
31. यह कि शासन के संबंधित विभाग जैसे कि नगर निगम/खाद्य विभाग द्वारा सेम्पल की मांग की जाने पर सील लगी इकाई ही द्वितीय पक्ष देगा एवं इस संबंध में तुरंत प्रथम पक्ष को सूचित करेंगे यदि द्वितीय पक्ष ने सेम्पल हेतु लीकेज/बगैर सील की कोई इकाई या खुला पदार्थ दिया हो तो उसकी जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी। प्रथम पक्ष की कोई जवाबदारी नही रहेगी। साँची पार्लर को खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत पंजीयन कराने, लाइसेंस प्राप्त करने व नियम के पालन हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य रहेंगा।
32. यह कि पार्लर में प्रथम पक्ष द्वारा जो ब्राण्डिंग मटेरियल उपलब्ध कराये एवं केन, क्रेट्स, बॉटल, प्रदाय किये जायेंगे किसी भी कारण उसकी टूट–फूट या नुकसान होने पर प्रचलित बाजार मूल्य से उसकी भरपाई द्वितीय पक्ष को करना होगा।
33. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा प्रदाय किये गये दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ एवं खाली क्रेट्स, बॉटल का लेखा–जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा एवं मांग किए जाने पर प्रथम पक्ष के अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। प्रथम पक्ष के खाली क्रेट्स का स्वयं उपयोग करने/बेचने पर द्वितीय पक्ष को नोटिस देकर कार्यवाही की जाएगी।
34. यह कि प्रथम पक्ष से कोई भी पत्र व्यवहार द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा एवं प्रथम पक्ष द्वारा बुलाये जाने पर द्वितीय पक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रथम पक्ष के कार्यालय में उपस्थित होगा।
35. यह कि शासन/प्रथम पक्ष द्वारा विक्रय संबंधी जो नियम वर्तमान में प्रचलित है एवं भविष्य में समय–समय पर बनाये जायेंगे द्वितीय पक्ष को उसका पालन करना अनिवार्य होगा न करने पर जुर्माना, पार्लर निरस्ती की कार्यवाही की जाएगी।
36. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा समय–समय पर दूध एवं दुग्ध उत्पाद की दर एवं मार्जिन संबंधी जारी किए गए पत्र/परिपत्र/आदेश द्वितीय पक्ष पर बंधनकारक रहेंगे।
37. द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा दुग्ध उत्पाद एवं घी वितरक दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे एवं द्वितीय पक्ष उसे केवल निर्धारित मूल्यों पर ही विक्रय करेगा।
38. **यह कि इस अनुबंध की शर्तों व नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा, जिसकी सूचना द्वितीय पक्ष को दी जावेगी एवं द्वितीय पक्ष उसका पालन करेगा।**
39. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को पार्लर आवंटन की स्थिति में दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय के लक्ष्य वार्षिक आधार पर दिये जाएंगे। जिन्हें प्राप्त करना द्वितीय पक्ष को अनिवार्य होगा। समय–समय पर उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु दिये गये लक्ष्यों कि प्राप्ति आवश्यक होगी लक्ष्यों को प्राप्त नही करने पर आवंटन निरस्त कर अन्य को आवंटन की कार्यवाही प्रथम पक्ष द्वारा की जाऐगी, जिस हेतु द्वितीय पक्ष जवाबदेह होगा।
40. प्रथम पक्ष द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देश/आदेश/परिपत्र अनुबंध का भाग माने जाऐंगे जिसका पालन करना द्वितीय पक्ष पर बंधनकारी होगा।
41. डेयरी गेट पार्लर की निविदा प्रपत्र में वर्णित आवंटन प्रक्रिया की समान शर्तें भी इस अनुबंध का भाग मानी जाएंगी। जिसका शत् प्रतिशत् पालन द्वितीय पक्ष को करना होगा।
42. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
43. टंकण त्रुटि या किसी भी कारण से शर्तों में अस्पष्टता होने से उक्त शर्तों को स्पष्ट करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

उपरोक्त अनुबंध की समस्त शर्तो को उभय पक्षों ने पढ़कर समझ लिया हैं एवं पूर्ण होश हवास में बिना किसी दबाव के हस्ताक्षरित कर निष्पादित की गई हैं।

दिनांक : ....

गवाह : — हस्ताक्षर

1. हस्ताक्षर —
   नाम —
   पता —

2. हस्ताक्षर —
   नाम —
   पता —

1. प्रथम पक्षकार

2. द्वितीय पक्षकार